4

SC 13
13/5/015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)
C.W.J.C. NO. ____________________/2015

Janki Devi ...... **Petitioner.**

Versus

The State of Bihar and Ors. .....

.... Respondents.

Sub :- Direction.

Index

Sl. No.	Annexures	Particulars	Page No.
1		Petition with Affidavit	1 to 22
2	**Annexure-1**	A copy of the proceeding dated 07.02.14	23-24
3	**Annexure-2**	A copy of the proceeding dated 12.3.2014	25-31
4	**Annexure-3**	A copy of the representation dated 23.03.2014	32
5	**Annexure-4**	A copy of the said proceeding dated 04.01.2011	33-34
6	**Annexure-5**	A copy of the R.T.I. application	35
7	**Annexure-6**	A copy of the representation dated 13.04.2015	36
		Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. ____________________/2015

Janki Devi ...... **Petitioner.**

Versus

The State of Bihar and Ors. .....

.... **Respondents.**

SYNOPSIS

RELIEF(S) Declaration of entire proceeding of special meeting convened for no confidence motion dated 7.2.14 brought against the petitioner as void ab-initio.

FACTS

Para-4 Government has introduced a three tire system of Panchayat Raj Act .

Para-5 Vide letter No. 2535 dated 16.12.2008 issued by the joint election commissioner Bihar, a

common direction has been issued to all the District Authorities.

Para-6 Petitioner and several members were elected as Panchayat Samiti in Bihariganj Garm Panchayat Block Bihariganj, District - Madhepura.

para-7 Petitioner was elected as prokhand Pramukh of Bihariganj Block , District - Madhepura.

para-8 Same member of Panchayat Samitee brought notice with regard to no confidence against the petitioner on 23.1.14.

Para-9 Special meeting was held on 7.2.14 under the chainmen ship of up Pramukh of Bihariganj in Presence of Executive officer cum . B. D.O. Bihaeriganj.

para-10 Entire proceeding of no confidence was done on illegal manner and also against the Rule.

Para-11 No agenda for discussion in special meeting.

Para-12 Members have no objected the procedure adopted by the Executive officer.

Para-13. Again on 12.3.14 date for election for the post of Pramukh was fixed under the chairmanship of S.D.O. Udakishunganj , District - Madhepura.

Para-14 Respondent No. 7 was declared as elected as pramukh on the basis of draw inter favour.

para-15 Petitioner filled objection before District Magistrate Madhepura against the manner

adopted by the S.D.O. Udakishunganj.

Para-16 One member of panchayat Samittee Demanded the information under right to information Act 2005 from B.D.O. Bihariganj.

para 18 Procedure adopted by the respondent No. 06 is illegal and against Rule.

Para -19 Again petitioner filled abjection before D.M. Madhepura on 13.4.15 but no action has been taken.

Para-20to22 Ground taken against impugned action taken by the respondent.

HENCE THIS WRIT APPLICATION.

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2674

भारत INDIA STAMP DUTY 00000 बिहार JUDICIAL Rs.≈0000285≈ 13.5.2015 375448 BIHAR ••Zero•Zero•Zero•Zero•Two••EightFive••• 2133 7920331

File Through :— Ajit Kumar Singh Adv. No. 05142

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. ____________________/2015

In the matter of an application Under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of ;

Janki Devi, Wife of Sri Rajnish Chaudhary Resident of Village + P.S. - Bihariganj, District - Madhepura.

.... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary of the Panchayat Raj Department, Government of Bihar, Patna.

2. The State Election Commission through the Chief Election Commissioner, Sone Bhawan, Patna -1.
3. The Joint Election Commissioner of the State of Election Commission, Patna.
4. The District Magistrate, Madhepura.
5. The Sub-Divisional Officer, Udakishunganj, District - Madhepura.
6. The Block Development officer Cum-Executive Officer of the Panchayat Samittee, Bihariganj.
7. Chanda Devi, Wife of Kundan Kumar Singh , Resident of Village + P.S. - Bihariganj, Near Congress Office Bihariganj, Ward No. 14) , District - Madhepura, At Present Working as Prakhand Pramukh in the Bihuariganj, Block, District-Madhepura.

......**Respondents.**

To,

The Hon'ble Mr. L Narsimha Reddy, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That this is an application filed on behalf of petitioner above named for issuance of appropriate writ(s), order(s), direction(s) for following relief(s):-

    (i) For declaration of the entire proceeding of special meeting convened for no confidence motion

dated 07.02.14 brought against the petitioner (The then Pramukh of Bihariganj Block , District - Madhepura as void ab-initio and declare the petitioner as Pramukh of the Panchayat Samittee, Bihariganj.

ii. And as a consequence entire proceeding of the election of Prakhand Pramukh (Respondent No. 7) of Bihariganj Block District - Madhepura be set aside.

iii. For imposing suitable punishment and cost upon the respondent No. 6 for illegally concluding the no confidence proceeding against the petitioner.

iv. For issuance of any other order/orders which may deems fit

and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That the instant writ application is inter-alia based on following grounds:-

   i. Whether the proceeding for no confidence motion against the petitioner has been initiated as per the Provisions of the Panchayat Raj Act and the Rules and regulations?.

   ii. Whether the respondent authorities can remove a person from his post in the illegal manner?

   iii. Whether the election of the Respondent No. 7 as Pramukh is valid and legal and is sustainable in the eye of law?.

   iv. Whether taking no action upon the representation of the petitioner by the respondent District

Magistrate is Justified in the eye of law?.

v. Whether the Block Development Officer , Beharigani is liable to be awarded cost for illegally concluding the proceeding of no confidence motion against the petitioner.?

vi. Whether the action of the respondents authorities is against the rights of the members of a Democratic system of Government?.

vii. Whether the action of the respondent authorities is otherwise bad in the eye of law as well as facts.

3. That petitioner is citizen of India and residing within the territorial Jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the Government has introduced a three tire system of Panchayat Raj at the level of Panchayat, Block and the District Level. All the units of the Panchayat Raj system having an independent status and there is also a prescribed system of election and their removal at all the level.

5. That apart from the provisions of the Panchayat Raj Act several guidelines were issued from the Government and State Election Commission, Bihar at different times . Vide letter No.2535 dated 16th of September 2008 issued by the Joint Election Commissioner of the State Election Commission a direction was given to all the District Magistrates Cum District Election Officers for completion of the Election as well as the No. confidence Process.

Rule -7 of the said letter deals with the provisions with regard to the No Confidence motion against the Pramukh and Uppramukh of the Panchayat Samastitee Hence the said guideline is bulky as such it is not attached and will be produced at the time of admission of the case. Some of the provisions are being reproduced hereunder.

(i) One third elected members of the Panchayat Samittee shall bring notice in writing against the Pramukh/ Up-Pramukh for no confidence.

(ii) Notice should be given in writing and copy of the same should be handed over to the executive officer of the Panchayat Samittee.

(iii) After completion of the discussion on special meeting of no confidence , immediately voting should be started as per following procedure.

A. ballot - Papers should be prepared as per the number of the members duly signed by the Executive officer in left hand side Bottom.

B. Executive officer shall instruct the all the members for voting individually to make cross (X) symbol in the column of their choice.

C. In case of any other symbol other than cross (X) their ballot paper shall be treated as cancelled.

IV. After division of the votes the executive officer shall take decision upon the No confidence motion.

6. That the election of the Panchayat Samittee / Panchayat as well as the Zila Parishad was held on 24.06.2011. Petitioner and other 16 Panchayat Samittee members were elected from different regions of the Bihariganj Block as Members of Panchayat Samittee.

7. That thereafter petitioner was elected as Prakhand Pramukh of the Bihariganj Block, District - Madheprua.

8. The it is hereby submitted that on 23.01.2014 a notice for convening the meeting and discussion on no confidence motion against the Prakhand

Pramukh was served by some of the members of the Panchayat Samittee under provisions of section 44(3) of the Panchayat Raj Act. and the Government Guidelines.

9. That the special meeting for discussion on the no confidence motion against the Prakhand Pramukh (Block Pramukh) was held on 07.02.2014 under the chairmanship of the Up Pramukh of the Bihariganj Block in presence of the Executive Officer cum Block Development Officer of the Bihariganj Block. But no instruction was given by the Executive Officer with regard to manner of voting.

A copy of the proceeding dated 07.02.14 is being

annexed as Annexure-1 to this application.

10. That entire proceeding of the no confidence motion against the Block Pramukh was done in illegal manner and against the provisions of the Panchayat Raj Act. as well as the guidelines issued by the State Election Commission, Bihar Patna. in fact all the member were directed to make Tick(/) mark in the column of their choice. As such the no confidence motion was passed against the petitioner is totally illegal.

11. That it is also apparent from the proceeding (Annexure-1) that there was no agenda for discussion and no discussion was held in the special meeting dated 07.02.14.

12. That petitioner and other members of the Panchayat Samittee were ignorant about the procedure of no confidence motion as such they did not objected against the procedure adopted by the Executive Officer cum Block Development Officer, Bihariganj.

13. That again on 12.03.14 date for election for the post of Pramukh was fixed and under the Chairmanship of the Sub Divisional Officer, Udakishunganj reelection was held and petitioner obtained 8 valid vote. However, respondent No. 7 also obtained 8 valid vote . It is is also made clear that out of total 17 votes one vote which was in favour of the petitioner has been declared as invalid as it was bearing Tick (/) mark in the column of the petitioner.

A copy of the proceeding dated 12.3.2014 is being annexed as Annexure -2 to this application.

14. That as a consequence of the proceeding dated 12.03.2014 (Annexure -2) respondent No. 7 was declared as elected as Pramukh on the basis of the draw in her favour as there were equal valid votes to the petitioner as well as the respondent No. 7.

15. That it is pertinent to state here that when the petitioner came to know about the illegality committed in the proceeding dated 07.02.2014 (proceeding for special meeting and voting for no confidence motion) she filed an objections before the District Magistrate Madhepura on 23.03.2014 raising all the facts and

grounds . But no action was taken by the District Magistrate till date.

A copy of the representation dated 23.03.2014 is being annexed as Annexure -3 to this application.

16. That petitioner has obtained the copy of the proceeding dated 14.01.2011 for special meeting and no confidence voting brought against the chairman of the Zila Parishad, Madhepura the proceeding specifically deals with the manner of voting by making cross (x) marks as per the guideline of the state Election Commission.

A copy of the said proceeding dated 04.01.2011 is being

annexed as Annexure -4 to this application.

17. That one of the member of the Panchayat Samittee has demanded the information under the right to information Act 2005 from the Block Development officer, Bihariganj for supply of the attested copy of the proceeding as well as the ballot papers but the same has not been supplied till date. The said application has been made on 08.10.2011.

A copy of the R.T.I. application is being annexed as Annexure - 5 to this application.

18. That the procedure adopted by the Respondent No. 6 for bringing the no confidence motion on 07.02.2014 is

totally illegal and void abinitio as a consequence the other proceeding in furtherance to the said proceeding for election of the respondent No. 7 as Block Pramukh is also vitiated and not sustainable in the eye of law.

19. That again petitioner filed a representation before the Respondent District Magistrate. on 13.04.2015 through registered post, but till date no action has been taken in this regard.

A copy of the representation dated 13.04.2015 is being annexed as Annexure -6 to this application.

20. That the proceeding / Action impugned taken by the Respondent Authorities against the petitioner, a person duly

elected by the people is also undemocratic, inhuman and also detrimental for a democratic functioning of the institution duly elected by the public.

21. That the action impugned taken by the respondents is also against the provisions of the Panchayat Raj Act as well as the Rule and regulations promulgated by the State Authorities for proper functioning of the basic feature of the Democracy at Panchayat level.

22. That the responsibly for committing such an blatant illegality totally goes against the then Block Development officer Bihariganj. Because the officials of the Government are deputed in the election proceeding only for the sole purpose

of adopting the Rules and regulations of the Government properly and it is always presumed that they have full knowledge of the Rules and guideline of the State Government and procedure for bringing the no confidence motion. As such the then Block Development officer, Bihariganj is also liable for imposing suitable cost for ruining the functioning of the Grass root level of the Democracy.

23. That from the abovesaid discussion it is also clear that the Respondent Government functionaries have adopted two yardsticks for the same election process as at one place they are deciding the no confidence motion against the petitioner on the basis of Tick (/) marks and in other hand they are rejecting the vote casted in

favour of the Petitioner only on the basis of the Tick (/) mark.

24. That petitioner has no other efficacious and alternative remedy than to move before this Hon'ble Court.

25. That petitioner has not earlier moved before this Hon'bnle Court in this connection.

It is , therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to issue notice (s) to the respondents and after hearing the parties may allow the prayer made in paragraph No. 1 of this application.

And /Or

Pass such other order/ orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Janki Devi, aged about 52 years, Wife of Sri Rajnish Chaudhary Resident of Village d+ P.S. - Bihariganj, District - Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this case and I have understood the same.
3. That the statements made in Paragraph nos. 3 to 8, 10 to 12, 14, 18, 20 to 22 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 9, 13, 15 to 17, 19 are based on information derived from the records and rests are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the Annexures are true/ photo copies of their respective originals.

23

दिनांक- 07.02.2014 को प्रमुख पंचायत समिति, बिहारीगंज पर लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर श्री कृष्ण कुमार उप प्रमुख की अध्यक्षता में विशेष बैठक की कार्रवाही :-

कार्यपालक पदाधिकारी,
पंचायत समिति, बिहारीगंज।

अध्यक्ष

उपस्थिति पंजीनुसार

आज दिनांक-07.02.2014 को प्रखंड के सामुदायिक भवन में पंचायत समिति की विशेष बैठक 11.00 बजे पूर्वाहन् से आहूत् की गई जिसमें सभी माननीय पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित् हुये। अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई निम्न प्रस्ताव द्वारा की गई :-

प्रस्ताव संख्याः-01 माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी, जिसपर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद मत-विभाजन की प्रक्रिया की सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव संख्याः-02 मानीय सदस्य संजय कुमार सिंह द्वारा पंचायतराज की अधिनियम पर चर्चा की गई।

प्रस्ताव संख्याः-03 माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह ने अध्यक्ष महोदय से पंचायत समिति की निर्धारित ससय पर बैठक नहीं बुलाये जाने की चर्चा की, जिसपर सभी सदस्यों से राय माँगी गई। माननीय सदस्य हीरालाल कुमार निराला ने पंचायत समिति द्वारा चर्चा की गई कि पंचायत समिति की बैठक माननीय प्रमुख के आदेश पर बुलायी जाती है। समय पर बैठक आहूत् करने के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। इन्होने बताया कि माननीय प्रमुख द्वारा अपने कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को ससमय इसका अनुपालन की जानी है। माननीय सदस्य श्री निराला द्वारा कहा गया कि बैठक नहीं बुलाने का प्रमुख पर लगाया गया आरोप सही नहीं है। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह ने निर्धारित बैठक बुलाने के संबंध में पंचायतीराज अधिनियम के सुसंगत धाराओं की चर्चा की।

प्रस्ताव संख्याः-04 माननीय सदस्य श्री दिलीप कुमार ने पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति की बैठक पंद्रह 15 दिन में बुलाने की चर्चा की। पुनः संजय कुमार माननीय सदस्य ने पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिये पत्र द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बैठक बुलाने से संबंधित प्रस्ताव रखे, जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित किया गया गत् बैठक दिनांक-10.12.2012 को बुलायी गई थी। अंत में माननीय सदस्य संजय कुमार ने अध्यक्ष महोदय से मत विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा मत-विभाजन की प्रक्रिया अपनाने की सहमति दी गई।

24

प्रस्ताव संख्याः–05 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के पूर्व सभी मतपत्र का नमूना दिखलाया गया एवं मतदान करने की तरीके के संबंध में विस्तार से बतलाया गया। इसके बाद गुप्त मतदान कराया गया।

प्रस्ताव संख्याः–06 मतदान परिणाम सभी माननीय सदस्यों के समक्ष निम्न रूपेण घोषित किया गया।

–:–

(i) अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में–	10	(दस)
(ii) अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में–	07	(सात)
कुल मतों की संख्या–	17	(सतरह)

उपरोक्त सभी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराई गई।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद विशेष बैठक की कार्रवाही समाप्त की गई।

07.02.14

कार्यपालक पदाधिकारी
पंचायत समिति, बिहारीगंज।

7.2.14
अध्यक्ष
सह
उप प्रमुख पं0स0
बिहारीगंज।

ज्ञापांक......172......दिनांक...07/02/014
प्रतिलिपि– उपप्रमुख पंचायत समिति, बिहारीगंज/सभी माननीय सदस्य पंचायत समिति, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतू प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/जिला पंचायतराज पदाधिकारी, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07.02.14

कार्यपालक पदाधिकारी,
पंचायत समिति, बिहारीगंज।

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्रावली में कुल 25 (पच्चीस) पन्ने हैं।

अनुभाग अधिकारी

[illegible]

आज दिनांक 12.03.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी उदा० किशुन की अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख बिहारीगंज के प्रतिनिधियों चुनाव हेतु पंचायत समितियों की बैठक प्रखंड में आयोजित सामुदायिक भवन में बुलाई गई। जिसमें निम्न सदस्य गण उपस्थित हुए।

(हस्ताक्षर) 12/3/14
अनुमंडल पदाधिकारी

01. श्री राजेश शर्मा — [हस्ताक्षर]
प्रा० नि० क्षे० सं०

02. श्री कुलप्रसाद दास — [हस्ताक्षर]
प्रा० नि० क्षे० 1 (एक)

03. श्री सतीश कुमार — [हस्ताक्षर]
प्रा० नि० क्षे०

04. श्री संजीव कुमार सुमन — संजीव कुमार सुमन
प्रा० नि० क्षे०

05. श्री कृष्ण कुमार — कृष्ण कुमार
प्रा० नि० क्षे० सं०

06. श्रीमती रीता देवी — रीता देवी
प्रा० नि० क्षे० सं०

07. श्री दिलीप कुमार — दिलीप कुमार
प्रा० नि० क्षे० सं० 11

(हस्ताक्षर)

(27)

08:- श्री शशि भूषण पासवान - [illegible]
प्रा० नि० से० सं०:

09 श्री हीरालाल कुमार निराला हीरालाल कुमार [illegible]
प्रा० नि० से० सं०: [illegible] परियाणी

10 श्री मती [illegible] देवी- [illegible]
प्रा० नि० से० सं०

11. श्री मंजेश कुमार सिंह:- मंजेश कुमार सिंह
प्रा० नि० से० सं० [illegible]

12. श्री मती ममता देवी:- ममता देवी
प्रा० नि० से० सं०:-

13. श्री मती जानकी देवी:- जानकी देवी
प्रा० नि० से० सं०:-

14. श्री मती चंदा देवी:- चान्दा देवी
प्रा० नि० से० सं०

15 बीबी रहमत खातून:- बीबी रहमत खातून
प्रा० नि० से० सं०:-

16. श्री मती नीलम देवी नीलम देवी
प्रा० नि० से० सं०-

17. श्री संजय कुमार सिंह:- [illegible]
प्रा० नि० से० सं०

प्रस्ताव सं0- 01 सर्व प्रथम अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधि-कारी ने उपस्थित सदस्य/सदस्याओं का बैठक में भाग लेने आने पर हार्दिक बधाई देकर पश्चात् प्रस्तुत चुनाव के सभी नियमावलियों को सरलता व सुगमतापूर्वक ज्ञात कराते हुए की ·

प्रस्ताव सं0- 02 अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी उदा-किशुनगंज ने उपस्थित सभी पंचायत समिति सदस्यों को जानकारी दी गई कि प्रस्तुत निर्-वाचन के पद रिक्त हो जाने के कारण उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के पत्रांक सं0- पं0नि0- 30-18/2013-448 दि0 [illegible] 12.03.2014 को निर्वाचन संपन्न कराने का निर्देशानुसार आयोग से किया गया है

प्रस्ताव- 03 अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी [illegible]

[illegible]

[illegible]

को. किशनगंज [illegible] कोरम का निर्वाचन [illegible] उपस्थित सदस्य/सदस्याओं [illegible] 22, 25, 26, 27 एवं पद 28 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रस्ताव- 04 अध्यक्ष महोदय ने सह [illegible] उपस्थित सदस्य/सदस्याओं को निर्देश दिया कि जो उम्मीदवार चुनाव हेतु नामांकन निर्देशन पत्र भरेंगे उनके लिए एक-प्रस्तावक एवं एक समर्थक होंगे जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे एवं जो सदस्य/सदस्या किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक एवं समर्थक

(29)

नहीं बन सकेंगे।

प्रस्ताव:-5 अध्यक्ष महोदय के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य/सदस्यों को विशेष जानकारी यह भी दी गई कि यदि उम्मीदवारों का बराबर मत हो जाता है, तो उस परिस्थिति में [illegible] निर्वाचित घोषित किये जायेंगे। लॉटरी [illegible] से पर्ची निकलवाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पाल सदस्य [illegible] नामित किए हैं।

प्रस्ताव-06. अध्यक्ष सह अनुमंडल ने सभी सदस्यों को नाम निर्देशन हेतु 05 मिनट का समय दिया गया, जिसमें दो उम्मीदवारों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया

—

01. श्रीमती [illegible], पति- कुन्दन कुमार, [illegible]
ग्रेड किशनगंज, जिला- मधेपुरा।
प्रस्तावक:- [illegible]
समर्थक:- प्रतिमा देवी
नाम निर्देशन पत्र का समय:- 11.13 Am

02. श्रीमति जानकी देवी
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय:- 11.14 Am
ग्राम पंचायत- बिहारीगंज, जिला:- मधेपुरा,
प्रस्तावक:- [illegible] कुमार
समर्थक:- दिलीप कुमार

प्रस्ताव:-07 अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी उदा- किशुनगंज के द्वारा निर्धारित समयानुसार 11.20 Am में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की गई, जिसमें उक्त दोनों उम्मीदवारों का

नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गए। निर्धारित
समय सीमा के अन्तर्गत 12.20 बजे से मतदान
प्रारंभ हुआ तत् पश्चात मतदाताओं की गई मतदान
ता के क्रम में डाले गए पंचायत समिति के सदस्य
सदस्यों द्वारा मतों की गिनती में 17 मतों में से एक
मत अवैध पाया गया तथा शेष ... चन्दा देवी
[illegible] ... 27 मे
घोषित किया गया। श्रीमती चन्दा देवी एवं
श्रीमती जानकी देवी को बराबर मत पड़ने की
स्थिति में नियम 98 के अनुरूप लॉटरी कराई
गई। लॉटरी के लिए प्रत्येक कागज की पर्ची का प्रयोग
किया गया। प्रत्येक पर्ची समान साईज की
बनाई गई। लॉटरी ... लॉटरी बॉक्स नामित
अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर सदस्य द्वारा
द्वारा निकाला गया, जिसमें चन्दा देवी के
नाम का पर्ची निकली के आधार पर
अध्यक्ष हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा
[illegible]

[illegible] ... 22 ... [illegible]
[illegible]

1. [signature]
2. [illegible]
3. [signature]
4. रंजीत कुमार [illegible]
5. [signature]
6. नीलम देवी
7. जानकी देवी
8. ममता देवी
9. दिलीप कुमार
10. [illegible]
11. [signature]
12. [illegible]
13. चन्दा देवी

(31)

(14) मंजेश कुमार सिंह
(15) बीबी रहमत खातुन
16 रीता देवी
17 परमिला देवी
मदन मुर्मू

अन्त में अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा शांति पूर्ण चुनाव कराने व उपस्थित पंचायत समिति सदस्या/सदस्य को द्वारा भरपूर सहयोग किये जाने भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०
अध्यक्ष 14
सह
अनुमंडल पदाधिकारी

Annexure - 3

सेवा में,

श्रीमान् जिलापदाधिकारी महोदय मधेपुरा ।

विषय:- कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति बिहारीगंज के द्वारा पक्ष पात कर अवैध मत पत्र को भी वैध मान कर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं बिहारीगंज प्रखंड का निर्वाचित प्रमुख थी । दिनांक 07.02.2014 को मेरे विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रखंड कार्यलाय बिहारीगंज में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मतदान करवाया गया मतदान में (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को भी बेध मान कर मुझे प्रखंड प्रमुख पद से हटाया गया । मेरे द्वारा विरोध करने पर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि (✓)का चिन्ह सही है।

दिनांक 12.03.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख बिहारीगंज के निर्वाचन हेतु पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई एंव मतदान करवाया गया ।

मेरे नाम के सामने अंकित (✓)निशान के चिन्ह लगे एक मत पत्र को अवैध घोषित किया गया जिस कारण मत बराबर हो गया तब लॉटरी के द्वारा निर्वाचिन किया गया जिसमें श्रीमती चंदा देवी को बिहारीगंज प्रखंड प्रमुख के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। मेरे द्वारा जब प्रतिवाद किया गया कि दिनांक 07.02.2014 के अविश्वास प्रस्ताव में (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को सही मान कर मुझे प्रखंड प्रमुख पद से हटाया गया तो इस बार (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को क्यों गलत बताया जा रहा है । अनुमंडल दंडाधिकारी उदाकिशुनगंज के द्वारा मुझे बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार (✓)चिन्ह लगे मत पत्र अवैध है। मेरे द्वारा श्रीमान् को आवेदन दिया गया लेकिन इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही की प्रकिया नही की गई है ।

अतः श्रीमान् से विनम् निवेदन है कि उचित कानूनी कारवाई कर मुझे न्याय देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

[signature]

23-03-14

अनुलग्नक

(I) 07-02-2014 को प्रमुख पंचायत समिति पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव की पंजी का छाया प्रति ।

(II) 12-03-2014 को प्रखण्ड प्रमुख बिहारीगंज के निर्वाचन के प्रस्ताव का छाया प्रति ।

(III) दिनांक 04-01-[illegible] को श्रीमति [illegible] देवी अध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा के विरुद्ध [illegible] छाया प्रति ।

A-4 (33)

आज दिनांक 04.01.2011 को श्रीमति सुनीला देवी, अध्यक्ष, जिला परिषद्, मधेपुरा के विरूद्ध विशेष बैठक में लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही :–

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के नियम 70 के विभिन्न उपनियम के आलोक में अध्यक्ष, जिला परिषद् मधेपुरा के उपर लाये गये अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद् कार्यालय पत्रांक 456, दिनांक 24.12..2010 को निर्गत सूचना के आलोक में निर्धारित बैठक की गयी।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

निर्धारित अवधि तक कुल 23 निर्वाचित जिला परिषद् सदस्यों में से अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने हेतु 17 निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा को उपस्थित निर्वाचित सदस्यों के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव को पढ़कर सुनाने को कहा गया।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा बिन्दुओं को सभी उपस्थित सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु खुला घोषित किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा नियमानुकूल तरीके से अनुपस्थित सदस्यों को उपस्थित होने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया। सदन से (1.) मो0 अजीम उद्दीन, क्षेत्र सं0 09 (2.) श्रीमति इन्दिरा देवी, क्षेत्र सं0 13 (3.) श्रीमति सुनीला देवी, क्षेत्र सं0 18 (4.) श्री राम विलास राम, क्षेत्र सं0 19 (5.) श्रीमति मधु कुमारी, क्षेत्र सं0 20 (6.) श्रीमति सरिता देवी, क्षेत्र सं0 21 कुल 06 सदस्य अनुपस्थित रहे।

श्री विपिन कुमार यादव, क्षेत्र सं0 15 के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया गया। उनके मत के समर्थन में सभी उपस्थित सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया गया।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा द्वारा प्रत्येक सदस्य को बारी–बारी से मतपत्र दिया गया तथा निर्धारित वोटिंग कम्पार्टमेंट के अन्दर जाकर अपनी इच्छा अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में एक ही जगह (x) का चिन्ह लगाकर तथा उसे मोड़कर मत पेटिका में डालने का अनुरोध किया गया।

मत विभाजन शुरू करने के पहले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा द्वारा मतपत्र का नमूना सभी सदस्यों को दिखलाया गया और उसे भली भांति वाकिफ करा दिया गया ताकि किसी को कोई भ्रम नहीं हो। सदस्यों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मतपत्र स्वयं सदस्यों को

(34)

मतप्रकोष्ट में जाकर मतदान करना होगा तथा (x) का चिन्ह लगाना होगा। मत विभाजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुनः अनुपस्थित सदस्यों का नाम पढ़कर पुकार किया गया।

मत विभाजन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा द्वारा मत पेटिका खोला गया तथा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में तथा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में दिये गये मतपत्रों की गणना की गयी।

गणना के पश्चात् यह पाया गया कि कुल डाले गये 17 मतपत्रों में 17 (सतरह) अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सही पाए गए। एक भी मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में नहीं पाया गया।

मतगणना का परिणाम पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के समक्ष सुनाया गया।

पीठासीन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के सामने उपयोग में लाये गये कुल 17 मतपत्रों को एक लिफाफा में सीलबन्द किया गया तथा अप्रयुक्त मतपत्रों को फाड़ कर एक अलग लिफाफा में सीलबन्द किया गया।

सम्पूर्ण बैठक की कार्यवाही की विडियोग्राफी करायी गयी।

इसके बाद सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मधेपुरा।

ह0
पीठासीन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 04 / जि0 प0, मधेपुरा, दिनांक 04.01.2011

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

पीठासीन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :– 04, दिनांक :– 04.01.2011

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिषद सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

4.1.11

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मधेपुरा।

A-5

554-
13-10-

35

प्रपत्र 'क'

सुचना प्राप्त करने के लिये आवेदन–प्रपत्र

आई० डी० सं०

कार्यालय प्रयोग के लिये

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी -सह-

प्रखंड विकास पदाधिकारी

बिहारीगंज

(विभाग/कार्यालय)

1 आवेदक का नाम संजय कुमार सिंह

2 पूरा पता ग्राम- जोरपा, पोस्ट- उदाकिशुनगंज, अंचल थाना- बिहारीगंज, मधे.

3 मांगी गई (सूचना का ब्योरा) संक्षेप में

मैं जानना चाहता हूँ कि बिहारीगंज प्रखंड प्रमुख के वर्ष 2014 में चुनाव का प्रोसीडिंग का फोटो कॉपी एवं मतपत्र का अभिप्रमाणित (एटेस्टेड) छाया प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय।

08-10-14

प्रभारी को सूचना दें
09/10/14

4 मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/ कार्यालय से सम्बन्धित है।

5 (i) मैंने ... रुपया शब्दों में ... दिनांक 08.10.2014 को रसीद संख्या 344510 ... से विभाग/कार्यालय भुगतान किया है।

(ii) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट भुगतान आदेश सं० ... दिनांक ... पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ... बैंक द्वारा निर्गत फीस भुगतेय।

(iii) ... रू० का का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(iv) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार का हूँ मेरा फार्ड सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न हैं।

स्थान बिहारीगंज

तिथि 8.10.14

आवेदक का हस्ताक्षर

ई मेल का पता अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या :

कार्यालय :

आवास :

Annexure - 6

, RL BEHARIGANJ <852101>
A RF118568007IN
Counter No:1,OP-Code:MPCM
To:DM,MADHEPURA
Madhepura S.O, PIN:852113
From:JANKIDEVI , BEHARIGANJ
Wt:45grams,
Amt:32.00 , 13/04/2015 , 13:40
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

36

सेवा में,

श्रीमान् जिलापदाधिकारी महोदय मधेपुरा ।

विषयः– कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति बिहारीगंज के द्वारा पक्ष पात कर अवैध मत पत्र को भी वैध मान कर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं बिहारीगंज प्रखंड का निर्वाचित प्रमुख थी । दिनांक 07.02.2014 को मेरे विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रखंड कार्यलाय बिहारीगंज में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मतदान करवाया गया।मतदान में (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को भी बेध मान कर मुझे प्रखंड प्रमुख पद से हटाया गया । मेरे द्वारा विरोध करने पर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि (✓)का चिन्ह सही है।

दिनांक 12.03.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख बिहारीगंज के निर्वाचन हेतु पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई एंव मतदान करवाया गया ।

मेरे नाम के सामने अंकित (✓)निशान के चिन्ह लगे एक मत पत्र को अवैध घोषित किया गया जिस कारण मत बराबर हो गया तब लॉटरी के द्वारा निर्वाचन किया गया जिसमें श्रीमती चंदा देवी को बिहारीगंज प्रखंड प्रमुख के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। मेरे द्वारा जब प्रतिवाद किया गया कि दिनांक 07.02.2014 के अविश्वास प्रस्ताव में (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को सही मान कर मुझे प्रखंड प्रमुख पद से हटाया गया तो इस बार (✓)चिन्ह लगे मत पत्र को क्यों गलत बताया जा रहा है । अनुमंडल दंडाधिकारी उदाकिशुनगंज के द्वारा मुझे बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार (✓)चिन्ह लगे मत पत्र अवैध है। मेरे द्वारा श्रीमान् को आवेदन दिया गया लेकिन इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही की प्रकिया नही की गई है ।

अतः श्रीमान् से विनम् निवेदन है कि उचित कानूनी कारवाई कर मुझे न्याय देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जानकी देवी
13-4-15

अनुलग्नक

(1) 07-02-2014 को प्रमुख पंचायत समिति पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव की पंजी का छाया प्रति।

(ii) 12-03-2014 को प्रखंड प्रमुख बिहारीगंज के निर्वाचन के प्रस्ताव का छाया प्रति।

(iii) दिनांक 04-01-2011 को श्रीमति सुनिता देवी अध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पंजी का छाया प्रति।